शिक्षा प्रक्रिया में आप्रवासी और सीमित अंग्रेजी प्रवीण अभिभावकों और छात्रों के अधिकार

इस तथ्य पत्र का उद्देश्य है आप्रवासी अभिभावकों के तौर पर आपको अपने राज्य और संघीय कानूनों के विषय में शिक्षित करना जो कि आपके बच्चे के लिए पब्लिक स्कूल सेवाओं और आपकी मातृभाषा में जानकारी एवं बैठकों के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। आप्रवासी अभिभावकों की संतान होने की वजह से आपका बच्चा सांस्कृतिक और भाषा मतभेद की वजह से स्कूल में चुनौतियों का सामना कर सकता है। आप्रवासी बच्चों का स्कूल आधे में ही छोड़ने की संभावना अधिक है। आपका बच्चा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करे, इसको सुनिश्चित करने का उत्तम तरीका है अपने और अपने बच्चे के अधिकारों को जानना और शामिल होना।

आपके बच्चे का शिक्षा पर अधिकार : न्यू जर्सी संविधान हर निवासी बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। प्लायर वर्सेस डो में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर आप्रवासी बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, चाहे उनके या उनके परिवारों के पास उचित दस्तावेज नहीं हों। आपके बच्चे को स्कूल में भर्ती होने के लिए या शिक्षा सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए नागरिकता या कानूनी निवास के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्कूल आपके या आपके बच्चे के इमिग्रेशन स्टेटस की स्थिति के बारे में नहीं पूछ सकता है। आपको सोशियल सेक्युरिटी नंबर देना भी आवश्यक नहीं कराया जा सकता है, और आपका बच्चा मुफ्त या कम मूल्य वाले नाशते या दोपहर के भोजन, परिवहन, शिक्षा और सहायता सेवाओं, विशेष शिक्षा सेवाओं सहित स्कूल के बाद होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का समान रूप से हकदार है।

आपका और आपके बच्चे का भाषा से संबंधित अधिकार : १९६४ के नागरिक अधिकार अधिनियम (सिविल राइट्स एक्ट)) के शीर्षक छठी (टाइटल ६) अमेरिका में संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पब्लिक स्कूल जैसे किसी भी योजना द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ उनके राष्ट्रीय मूल के वजह से होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाती है। लाउ वर्सेस निकोल्स के अंतर्गत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह पुष्टि की कि इसमें अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, या समझने की अक्षमता की वजह से हुए भेदभाव भी शामिल है । उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए कि सीमित अंग्रेजी दक्षता रखने वाले बच्चे (लिमिटेड इंग्लिश प्रोफ़िशियंसी- एल.ई.पी) जिसे कि ईंग्लिश लैंगुअज लरनर्स (ई.एल.एल) भी कहा जाता है, उन्हें अन्य सभी छात्रों को प्राप्त होने वाले स्तर की ही शिक्षा प्राप्त हो। राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश १३१६६ के अनुसार संघीय सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले स्कूल जैसी सभी संस्थाओं, एल.ई.पी.प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपने कार्यक्रमों, सेवाओं, और जानकारी में सार्थकता प्रवेश दिलाने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप सूचित अभिभावक बनने हेतु अंग्रेज़ी में प्रवीण नहीं हैं, तो स्कूल आप को आपकी मातृभाषा में जानकारी प्रदान करेगा और बैठकें आयोजित करेगा। भाषा अनुवाद से संबंधित कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जा सकता है। शुल्क न्यू जर्सी भेदभाव के खिलाफ कानून (न्यु जर्सी लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेषन- लाड) के अंतर्गत भी यह सुरक्षा शामिल हैं।

आपके बच्चे का द्विभाषिक या दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की सेवा, एवं भाग लेने में आपका अधिकार : न्यू जर्सी के द्विभाषी शिक्षा संहिता के अंतर्गत ज़िलों के लिए निम्नलिखित आवश्यक है :-एल.ई.पी./ई.एल.एल बच्चों की पहचान करना; आपकी भाषा में आपके बच्चे की एल.ई.पी./ई.एल.एल के पहचान के विषय में लिखित सूचना प्रदान करना; एवं अंग्रेजी भाषा न बोलने वाले बच्चों की संख्या पर आधारित द्विभाषी शिक्षा या दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा सेवा सभी पात्र बच्चों के लिए प्रदान करना । आपको यह सूचित किया जाना चाहिए कि यह कार्यक्रम कैसे आपके बच्चे को शैक्षिक सामर्थ्य देगा और आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, कैसे अंग्रेजी सीखने और शैक्षिक मानकों को प्राप्त करने में सहायक होगा, एवं यदि बच्चा अक्षम है, तो कैसे उसके व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (ईंडुविज़ुअलाइज़्ड एजुकेशन प्रोग्राम-आई.ई.पी) के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। आपका बच्चा यदि ज़िले के द्विभाषी या दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी (ई.एस.एल) कार्यक्रम में नामंकित है, तो जब तक ज़िले के लिए अनुचित बोझ न हो, प्रगति के विवरण भी आपकी भाषा में ही होने चाहिए । आप अपने बच्चे के लिए द्विभाषी सेवाओं को अस्वीकार कर सकते हैं या अपने बच्चे को हटा भी सकते हैं। यदि आपके जिले में द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रम है, तो वहाँ एल.ई.पी अभिभावकों के बहुमत वाली द्विभाषी अभिभावक सलाहकार समिति होनी चाहिए।

विशेष शिक्षा सेवाओं के लिए आपके बच्चे के अधिकार और भाग लेने के लिए आपका अधिकार : विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा अधिनियम (इंडिविजुअल्स विद डिसएबिलिटि एक्ट- आइ.डी.ई.ए) और न्यू जर्सी स्पेशल एजुकेशन कोड़ के अंतर्गत आपके बच्चे के स्कूल का आपकी भाषा में आपके साथ मौखिक और लिखित दोनों रूप से संचार करना अनिवार्य है, ताकि आप सूचनाओं के प्रकरण एवं अपने बच्चे के मूल्यांकन और उसके आई.ई.पी को समझ सकें। बैठक भी आपकी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए ताकि आप एक सक्रिय, सूचित भागीदार बन सकें। यह आवश्यक है कि अभिभावक मूल्यांकन के लिए अपनी सूचित सहमति दें और प्रारंभिक आई.ई.पी के लिए यह आवश्यक है कि लिखित एवं मौखिक जानकारी आपकी भाषा में अनुवादित हो। आपके बच्चे की अक्षमता एवं उसकी शक्तियों के विषय में मूलयांकन पूर्ण करते समय आपके बच्चे के साथ जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और, केवल भाषा समझने की कठिनाई की वजह से उसे विशेष शिक्षा का अधिकारी नहीं समझा जा सकता है। मूल्यांकन उस भाषा में होना चाहिए जिसमें सटीक जानकारी प्राप्त होने की अधिक संभावना हो। यदि आपका बच्चा एल.ई.पी/ई.एल.एल है और वह अक्षम है, तो उसे द्विभाषी विशेष शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।

याद रखें: आपके आप्रवासी एल.ई.पी/ई.एल.एल बच्चे को गुणवत्ताशील शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप जानकार बनें और शामिल रहें । सहायता के लिए राज्यव्यापी अभिभावक हिमायती संघ से १-८००-६५४-७७२६ (800-654-7726.) पर संपर्क करें ।